

91  
25

पीछासीन अधिकारी प्रकल्प/सर्वकार/मुनाब कार्य  
में व्यक्त है। प्रकल्प दिनांक 12/2/25 को है।  
न्यायालय उच्च न्यायालय अधिकारी मांगरोल जिला बारा

12/2/25

पत्रावली पेश हुई। बूडि उक्त के  
संबंधित मूल दस्ता अथवा हाजरी-अथवा  
पैरवी में स्वरिज किया जा चुका है।  
अतः न्यायालय उक्त पत्रावली को  
गोटे जैरकत रखना उचित नहीं  
समझता है। न्यायालय द्वारा उक्त  
पत्रावली को स्वरिज किया जाता है।  
पत्रावली केवल शुमार होकर नम्बर  
से कम की जावे। निर्णय आज दिनांक  
12.2.2025 को तदे इजलास मुनापा  
गया।